राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :–भ./भण्डार 14(3)रिक्वायरमेण्ट वाहन/अभि/2017/ 6419-21 दिनांकः– 10/5/18

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु सूचना

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में राजकीय यात्राओं के लिये किराये का वाहन उपलब्ध कराने के लिये व्यक्ति, फर्म, ट्रेवल एजेन्सी जो स्वयं के नाम से ट्रेक्सी के रुप में पंजीकृत वाहन रखते हो से दिनाक **21.05.2018** को सांय **3:00** बजे तक प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते है। प्राप्त प्रस्ताव उसी दिन सायं **04:00** बजे विभागीय उपापन समिति के समक्ष खोले जायेगे।

किराये पर वाहन लिये जाने की शर्ते निम्नलिखित होंगी :–

1. वाहन किराये पर लेने पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15.07.15 की शर्ते लागू होंगी। इन शर्तो के अनुसार न्यूनतम 1500 कि.मी. के लिये प्रति माह राशि रूपये 20,000/– तथा 1500 कि.मी. से अधिक कि.मी. के लिये रूपये 7.25/ – प्रति कि.मी. देय होगी।
2. किराये के वाहन का मॉडल नवीनतम होगा। किसी भी स्थिति में वाहन छः वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा।
3. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म को वार्षिक व्यय की पांच प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
4. पथकर के शिवाय समस्त कर वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म को वहन करने होंगे।
   वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म द्वारा संदत्त पथकर का पुनर्भरण पथकर के संदाय की रसीद के देने पर किया जायेगा।
5. सभी विधिक कटौतियां जैसे कि–आयकर, सेवाकर इत्यादि भुगतान के समय लागू विधि/नियमों के अनुसार की जावेगी।
6. किराये पर लिया गया वाहन राज्य में कहीं भी उपयोग में लिया जा सकता है।
   जयपुर मुख्यालय के अलावा अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम के मामले में चालक को प्रति रात्रि रूपये 200/– की राशि संदत्त की जायेगी।
7. वाहन का स्वामी/ठेकेदार/फर्म वाहन उपलब्ध नहीं कराते हैं तो शास्ति रूपये 500/– प्रतिदिन अधिरोपित की जायेगी तथा विभाग किराये पर अन्य वाहन ले सकता है। यदि किराये का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो वसूली वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म से की जावेगी।
8. यदि वाहन सडक पर खडा हो जाता है तो वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म को अन्य वाहन स्वयं की लागत पर उपलब्ध कराना होगा।
9. वाहन की मरम्मत पेट्रोल, डीजल आदि व्यय वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म को ही वहन करने होंगे।
10. वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रविष्टि के लिये निर्धारित लॉग शीट तीन प्रतियों में प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
11. वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दरों में परिवर्तन करने पर नई दरें परिवर्तित दिनांक से लागू होंगी।
12. कर्त्तव्य स्थल से दूरी व समय की गणना की जायेगी।
13. वाहन के नियमानुसार गलत परिचालन की दशा में किसी भी प्रकार के नुकसान, हानि, क्षति, दण्ड आदि के लिये वाहन स्वामी/ठेकेंदार/फर्म स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. वाहन चालक, फर्म के स्वयं का होगा जिसके पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य होगा।
15. वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र एवं बीमा कम्पनी से इन्स्योर्ड होनी चाहिये।
16. निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध सम्पादित करना होगा।

–Sd–
(महेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजन (मु0) राजस्थान को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड।

10/5/18
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

VAHAN/STORE